

नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए
निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

क्र. 1666/6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 09.04.2015



नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

केपिटल काम्प्लेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.) – 492002

दूरभाष 07712511400, फ़ैक्स 07712511400

ई-मेल : ceo@nayaraipur.com, वेब साइट – www.nayaraipur.gov.in



नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

केपीटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)-492002

दूरभाष : 0771-2511500, फ़ैक्स : 2511400, www.nayaraipur.gov.in

नया रायपुर में विज्ञापन होर्डिंग्स एवं यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. 1666/6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 09.04.2015

नया रायपुर में विभिन्न स्थानों पर निर्धारित आकार के विज्ञापन होर्डिंग एवं यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए प्रतिष्ठित एडवर्टाईजिंग एजेंसी, जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो, से निर्धारित निविदा प्रपत्र पर सीलबन्ध लिफाफे में दिनांक 27.04.2015 के अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे खोली जायेंगी।

2. न्यूनतम अर्हता, लाइसेंस की अवधि, आकार आदि एवं लाइसेंस की अन्य शर्तों का विवरण निविदा प्रपत्र में दिया गया है जिसे एनआरडीए के वेबसाइट www.nayaraipur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शर्तों, तिथि आदि में यदि संशोधन किया जायेगा तो इसी वेबसाइट पर विज्ञापित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिये निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा प्रपत्र निम्नांकित को जारी -

मेसर्स/श्री _____

मनी रसीद बुक नं. _____, रसीद नं. _____, दिनांक ____ / ____ / 2015

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
नया रायपुर

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह निविदा भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदा दाता द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. निविदा दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज टेंडर जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः निविदा भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं भरें।
4. निविदा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए दायी नहीं होंगे।
5. निविदा आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट www.nayaraipur.gov.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, स्व-विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, निविदा सूचना की शर्तों, तिथि इत्यादि में संशोधन किया जा सकता है या निविदा दस्तावेजों को पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। उक्ताषय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

केपीटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.)-492002
दूरभाष : 0771-2511500, फ़ैक्स : 2511400 ई-मेल ceo@navaraipur.com www.nayaraipur.com

क्र. 1666/6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक 09.04.2015

नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

नया रायपुर में विभिन्न स्थानों पर निश्चित आकार के लगभग 2000 वर्गमीटर के सकल क्षेत्रफल पर यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए प्रतिष्ठित एडवरटाइजिंग एजेंसी से निर्धारित निविदा प्रपत्र में सीलबंध लिफाफे में दिनांक 27.04.2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जायेंगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. निविदा फार्म – निर्धारित निविदा फार्म रु. 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) नगद जमा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. के केपीटल काम्पलेक्स सेक्टर-19 स्थित कार्यालय से निविदा तिथि के एक दिन पूर्व तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा जमा करते समय 5000/- रु. की डीडी द्वारा जमा किये जा सकते हैं। निविदा फार्म की राशि जमा करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. अर्नेस्ट मनी –

- (i) निविदा दाता को निविदा के साथ रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) की राशि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को रायपुर/नया रायपुर के बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर या बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित राशि एवं स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा करना नहीं पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) यदि यह पाया जायेगा कि निविदादाता द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी दी गई है तो उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात कर ली जायेगी एवं जमा की गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(iii) सफल निविदादाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी की राशि सुरक्षा निधि में समायोजित कर ली जायेगी।

(iv) अन्य निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी निविदा स्वीकृति के दो सप्ताह के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4. आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क – आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क रूपये 1500/– (रूपये एक हजार पाँच सौ मात्र) प्रति वर्गमीटर है। निविदाएँ अधिकतम वार्षिक लाइसेंस फीस के लिए आमंत्रित की गई है। आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क से कम राशि की निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। अधिकतम वार्षिक लाइसेंस फीस उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

5. न्यूनतम वित्तीय क्षमता एवं अनुभव – निविदा दाता को निम्नलिखित वित्तीय क्षमता एवं अनुभव होना आवश्यक है—

(1) निविदा दाता अर्थात् प्रतिष्ठित एडवरटाइजिंग एजेंसी को विज्ञापन क्षेत्र में कम से कम 05 वर्षों (दिनांक 31.03.2015 की स्थिति में) के कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। इसके संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(2) निविदा दाता (एडवरटाइजिंग एजेंसी) का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रूपये पांच करोड़ मात्र होना आवश्यक है। निविदा दाता को इसके समर्थन में चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(3) निविदा दाता (एडवरटाइजिंग एजेंसी) को पेन कार्ड एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. अनुबंध अवधि – नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु सफल निविदा दाता से प्रथमतः दस वर्ष का अनुबंध किया जायेगा। प्रत्येक दो वर्षों पर अनुबंध फीस पर 10 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। यदि निविदा दाता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन दस वर्ष तक सफलता पूर्वक किया जाना पाया जाये तो नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनुबंध की अवधि का रिनिवल (Renewal) पिछले वर्ष की अनुबंध फीस पर अधिकतम 100 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एवं अन्य नियम एवं शर्तें जैसा कि अथॉरिटी द्वारा विहित किये जाये, अधिकतम पांच वर्षों तक बढ़ायी जा सकेगी। अनुबंध की अवधि में वृद्धि करना या अनुबंध को समाप्त कर नये सिरे से विज्ञापन होर्डिंग्स एवं यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का एक मात्र अधिकार एन.आर.डी.ए. का होगा जो सफल निविदा दाता पर बंधनकारी होगा।

अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् 15 दिनों के भीतर या उसके पूर्व धर्मावसान पर निविदा दाता अपनी सामाग्री एवं संपत्ति संबंधित स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा अन्यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. द्वारा होर्डिंग हटा दिया जायेगा एवं उसमें होने वाले व्यय की वसूली संबंधित एडवरटाईजिंग एजेंसी से की जायेगी।

7. निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका –

(1) निविदा दो – लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी –

- i. **लिफाफा-ए** : इस लिफाफे में टर्न ओवर/अनुभव एवं पेन कार्ड, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, अर्नेस्ट मनी एवं निर्धारित प्रारूप जो निविदा पत्र के साथ संलग्न है, जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफा बंद कर उसके ऊपर निविदा का नाम नया रायपुर में विज्ञापन यूनियन लगाने हेतु लाइसेंस के लिये निविदा – लिफाफा-ए” तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवश्यक होगा।
- ii. **लिफाफा-बी** : इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरें शब्दों एवं अक्षरों दोनों में भरी जावे। यदि कोई कांट-छांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति-हस्ताक्षर किये जाये। शब्दों एवं अक्षरों या कांट-छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।
- iii. उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् लिफाफा-ए तथा लिफाफा-बी एक बड़े लिफाफे में बंद कर निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. निविदा खोले जाने की विधि –

- (i) निर्धारित तिथि में निविदा जमा करने का समय समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष, की जायेगी। सबसे पहले बाहरी लिफाफा खोला जायेगा उसके बाद लिफाफा-ए खोला जायेगा।

- (ii) लिफाफा-ए के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद केवल पात्र पाये गये निविदा दाताओं के लिफाफा-बी अन्य तिथि में, उन्हें उपस्थिति हेतु सूचना देते हुए निर्धारित की गयी तिथि को खोले जायेंगे और प्राप्त निविदा दरों की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी।
- (iii) प्राप्त उच्चतम निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उचित पाया गया तो आवश्यकतानुसार निगोषियेशन के उपरांत या बिना निगोषियेशन किये निविदा स्वीकृत की जायेगी।
- (iv) बिना कोई कारण बताये प्राप्त समस्त निविदायें या कोई भी निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को होगा।

9. सुरक्षा निधि –

- (i) निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदा दाता को दी जायेगी।
- (ii) स्वीकृति की सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर, सफल निविदा दाता को मात्र बीस लाख रुपये सुरक्षा निधि के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को रायपुर/नया रायपुर के बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर या बैंकर्स चैक या बैंक गारंटी के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबंध की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना पाये जाने पर और समस्त देय राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को प्राप्त हो जाने पर, अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत बिना ब्याज के सुरक्षा निधि वापस कर दी जायेगी।
- (iii) स्वीकृति की सूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर ही सफल निविदादाता को एक वर्ष का लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
- (iv) यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर उपरोक्त उपकंडिका (ii) या (iii) के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की राशि राजसात कर लेवें।
- (v) अपरिहार्य कारणों से सफल निविदा दाता के लिखित अनुरोध पर विलंब शुल्क लेते हुए समयावधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, को होगा।

10. निविदा की वैधता – निविदाएँ, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिन की अवधि के लिए वैध रहेंगी। इसके उपरांत आपसी सहमति से वैधता को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

11. यूनिपोल के लिये चिन्हित किये गये मार्गों का नक्शा परिषिष्ट-I पर संलग्न है परन्तु निम्नांकित स्थानों पर यूनिपोल लगाया जाना प्रतिबंधित होगा –

- (1) ट्रैफिक साईन के 30 मीटर के भीतर
- (2) सड़क तीराहे, चौराहे के केन्द्र से 100 मीटर के भीतर
- (3) फुटपाथ एवं साइकल ट्रेक तथा उसके लिये प्रस्तावित स्थान पर
- (4) एयरफनल में प्रतिबंधित ऊँचाई सीमा से अधिक ऊँचाई के यूनीपोल
- (5) अन्य स्थान जो यातायात की दृष्टि से यूनिपोल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाये जिस संबंध में एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12. उपरोक्त कंडिका में प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में यूनिपोल का सटीक स्थान सफल निविदादाता और एनआरडीए के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सहमति के आधार पर निर्धारित होगा।

13. किसी स्थान पर होर्डिंग्स एवं यूनिपोल, दोनों लगाने की माँग आने पर प्राथमिकता यूनिपोल लगाने की दी जायेगी।

14. प्रथम चरण में नया रायपुर के परिषिष्ट-I पर संलग्न नक्शे के आधार पर विभिन्न स्थानों पर निश्चित आकार के लगभग 2000 वर्गमीटर के सकल क्षेत्रफल पर यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिये प्रतिष्ठित एडवर्टाईजिंग एजेंसी से निविदाएँ आमंत्रित की जा रही है।

15. नया रायपुर के एक्सप्रेस-वे रोड, एयरपोर्ट रोड एवं वेस्ट एवेन्यू रोड पर विज्ञापन हेतु सिर्फ यूनिपोल लगाने की अनुमति होगी। इन रास्तों पर विज्ञापन हेतु होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं होगी।

16. यूनीपोल के सतह का क्षेत्रफल **9.0 m x 4.5 m** होगा एवं भू-तल से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

17. लाइसेंस शुल्क यूनिपोल के सकल क्षेत्रफल पर देना होगा। "व्ही" आकार/बैक टू बैक यूनीपोल जिसमें एक से अधिक सतह में विज्ञापन हो, लगाने की भी अनुमति होगी परन्तु प्रत्येक सतह के लिए पृथक लाइसेंस शुल्क देना होगा।

18. सामान्यतः दो होर्डिंग या दो यूनिपोल या होर्डिंग एवं यूनिपोल के मध्य न्यूनतम अन्तर 200 मीटर होगा परन्तु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या राज्य शासन के विज्ञापनों के लिये होर्डिंग/यूनिपोल नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उपरोक्त के मध्य भी लगाये या लगवाये जा सकेंगे।

19. लाइसेंस के संबंध में निम्नांकित नियमन लागू होंगे –

- (1) यूनीपोल स्टील स्ट्रक्चर/अनुमोदित स्ट्रक्चर पर आधारित होंगी एवं सुरक्षा की जवाबदारी लाइसेंस धारी पर होगी।
- (2) यूनीपोल के लिए विद्युत व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करने का उत्तरदायित्व लाइसेंस धारी पर होगा। इस हेतु सड़क काटे जाने या ओव्हर हेड वाईरिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (3) सफल निविदा दाता को सौर ऊर्जा से विद्युत के द्वारा प्रकाश व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु जिस यूनिपोल पर लाइसेंसधारी द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की व्यवस्था की जायेगी, उसके वार्षिक लाइसेंस शुल्क में प्रोत्साहन राशि के फलस्वरूप 10 प्रतिशत कमी की जायेगी। कमी की गई राशि का समायोजन आगामी वर्ष के लाइसेंस शुल्क में होगा।
- (4) यूनीपोल पर प्रचार सामग्री शिष्ट, सुरुची पूर्ण एवं सामाजिक सौहाद्रता को ध्यान में रखकर बनाये जाने का उत्तरदायित्व लाइसेंस धारी पर होगा। इसका उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- (5) यदि सुरक्षा या अन्य अपरिहार्य कारणों से किसी स्थान से यूनीपोल हटाने की आवश्यकता हो तो लिखित सूचना दिये जाने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर, लाइसेंसधारी को यूनीपोल अपने व्यय पर हटा लेना होगा।
- (6) एनआरडीए को अधिकार होगा कि वह लाइसेंस के अंतर्गत चयनित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों का आबंटन अन्य को कर सकें।

20. लाइसेंसधारी को प्रत्येक यूनीपोल में एनआरडीए द्वारा जारी लाइसेंस क्रमांक एवं लाइसेंस की समाप्ति की तिथि यूनीपोल के दायें कोने में नीचे लिखना होगा।

21. इच्छुक निविदा दाता से प्राप्त शंकाओं/प्रश्नों (Query) के आधार पर नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा स्वप्रेरणा से अंतिम तिथि के पाँच दिवस पूर्व तक निविदा शर्तों में संशोधन किया जा सकेगा एवं ऐसे संशोधनों की सूचना सिर्फ नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाईट **www.nayaraipur.gov.in** पर ही दी जायेगी।

22. किसी निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.आर.डी.ए. को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए
निविदा प्रपत्र
(कृपया अपने लेटरहेड का प्रयोग करें)**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
केपीटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19,
नया रायपुर (छ.ग.)-492002

विषय :- नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए निविदा आमंत्रण।

संदर्भ:- क्र. /6(2)/सम्पदा/39/एनआरडीए/2015 नया रायपुर, दिनांक / /2015

मैं/हम.....

पता.....जिला.....

नया रायपुर में विज्ञापन यूनिपोल लगाने हेतु लाइसेंस के लिए बुलायी गई निविदा के अंतर्गत अपनी निविदा निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ -

प्रकार	प्रस्तुत निविदा दर (प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर)	
	वार्षिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में)	वार्षिक लाइसेंस शुल्क (षट्को में)
यूनिपोल		

2. मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे/हमें मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त में निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ संलग्न की है।

3. हमारे फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है। मुझे/हमें एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में 5 वर्षों (दिनांक 31.03.2015 की तिथि में) का अनुभव है जिस संबंध में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण-पत्र तथा सर्विस टैक्स में पंजीयन का प्रमाण-पत्र एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति इस निविदा के साथ संलग्न है। यदि प्रमाण-पत्र निर्धारित स्वरूप में नहीं पाया जाता तो एनआरडीए को अधिकार होगा की मेरी निविदा निरस्त कर दे।

4. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राशि जमा करूंगा तथा लाइसेंस अनुबंध का स्वयं के व्यय पर पंजीयन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंगे।

संलग्न :-

- (1) निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1,00,000/- (रूपये लाख) मात्र की राशि अर्नेस्टमनी के रूप में तथा रू. 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की राशि निविदा प्रपत्र के शुल्क के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को देय बैंक ड्राफ्ट।
- (2) फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है।
- (3) एडवरटाइजमेंट के क्षेत्र में 5 वर्षों (दिनांक 31.3.2015 की तिथि में) के अनुभव के समर्थन में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट का प्रमाण-पत्र
- (4) सर्विस टैक्स में पंजीयन का प्रमाण-पत्र
- (5) पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति

निविदादाता का हस्ताक्षर:-.....

(1) साक्षी का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

दिनांक:-

(2) साक्षी का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता:-.....

दिनांक:-

नाम:-.....

पता:-.....

फोन / फ़ैक्स:-.....

ई-मेल:-.....

दिनांक:-